(देखें अभिलेख हस्तांतर 1947 का नियम 128)

आदेश ता0 ..../ से ..../तक

जिला गढ़वा विविध वाद संख्या ......15 / ..../वर्ष 2016-17

केश का प्रकार :- लगान निर्धारण

	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे मे विवरणी
29.6.16 20.7.16	श्री नारायण विश्वकर्मा/ पिता श्री छोटू विश्वकर्मा ग्राम ......नावाँ....../थाना......गढ़वा/जिला ......गढ़वा ने क्रम ..../ में स्थित भूमि का दा0 खा0/जमाबंदी कायम/लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:– भूमि का विवरण ग्राम/थाना — खाता सं0 — प्लॉट सं0 — रकबा — माल नावाँ 340 — 35 — 127 — 0-19-19 = 00 उक्त आवेदन पत्र जाँच हेतु हल्का कर्मचारी को भेजें तथा जाँच प्रतिवेदन अं.नि. के माध्यम दिनांक ...27-07-16.../तक मांग करें। अभिलेख उसी तिथि तक प्रस्तुत करें। [signature] 20/07 अंचल अधिकारी, गढ़वा	
27.7.16 27.7.16	अभिलेख प्रस्तुत किया गया। हल्का कर्मचारी ने राजस्व कागजाती से मिलान करके जाँच प्रतिवेदन अं.नि. के माध्यम से समर्पित किया है जिसका अवलोकन किया। अतः आवेदन भूमि का एक आम इस्तहार निर्गत करें तथा दिनांक ...10.8.16.../तक आपति की मांग करें। अभिलेख दिनांक ...11.8.16...को रखें। [signature] 27/07	

Scanned with CamScanner

11.8.16 — अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया। काल उत्तरण का तामिला अवधि के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि ग्राम नगवां खाता सं0 35 प्लॉट सं0 127 रकबा 0.1900 सर्वे खतियान बकास्त मालिक खाता की भूमि है उक्त भूमि बाबू केदारनाथ सिंह ने बाजाप्ते केवाला 3730 दिनांक 11.10.1957 ई0 को आवेदक के साथ बिक्री किया है उक्त भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है उक्त भूमि पर आवेदक का आवासीय मकान है उक्त भूमि अवधान, भू हदबंदी एवं सार्वजनिक उपयोग से मुक्त है भूमि विवाद रहित है अंचल अमीन द्वारा ट्रेस नक्शा एवं गवाही पत्रक समर्पित किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित भूमि का लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है

अनुशंसा

भूमि का विवरण

रैयत का नाम	ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	दर्जा	साल
श्री नारायण विश्वकर्मा	नगवां	35	127	0.19	बकाश्त	1900

उक्त भूमि का वार्षिक लगान जमींदारी वाली अनुकूलन तिथि से वसूलनीय होगा।

अतः अभिलेख स्वीकृति हेतु उपसमाहर्ता भूमि-सुधार गढ़वा को भेजें।

लिखवाया एवं संशोधित।

11/08 — 11/08

अंचल कर्मचारी गढ़वा — अंचल अधिकारी गढ़वा।

(2)

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी गढ़वा द्वारा प्रेषित विविध वाद सं0 15/2016–17 नारायण विश्वकर्मा जो लगान निर्धारण के संबंध में है का अवलोकन किया।

राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी के आदेश फलक का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम–नगवॉ के खाता संख्या 35 प्लौट सं0 127 रकबा 0.19(उनईस)डीसमिल नारायण विश्वकर्मा पिता कोदु विश्वकर्मा के नाम लगान निर्धारण हेतु प्रतिवेदित है। प्रस्तावित भूमि के बकास्त मालिक खाते की है उक्त भूमि को बाबु केदारनाथ ने बजरिये केवाला सं0 3730 दिनांक 11.10.1957 द्वारा आवेदक के साथ बिकी किये है प्रतिवेदित किया गया है। उक्त भूमि भू–दान भू–हदबंदी एवं सार्वजनिक उपयोग से मुक्त है साथ ही आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दायर नहीं गया है प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन एवं अचंल अधिकारी गढ़वा द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में ग्राम–नगवॉ के खाता संख्या 35 प्लौट सं0 127 रकबा 0.19(उनईस)डीसमिल लगान उनईस रूपया नारायण विश्वकर्मा पिता कोदु विश्वकर्मा के नाम लगान निर्धारण करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथी से वसुलनीय होगा।

लेखापित एवं संशोधित

11/11/16

उप समाहर्त्ता,
भूमि सुधार,गढवा।

11/11/16

उप समाहर्त्ता,
भूमि सुधार,गढवा।

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक 910 दिनांक 2.12.2016 के द्वारा अभिलेख स्वीकृति के पश्चात प्राप्त हुआ है।
सहायक तीन प्रति में रेंटरॉल तैयार कर निर्गत करें। रेंटरॉल संबंधित हल्का कर्मचारी को हस्तगत करते हुए हल्का कर्मचारी से जमाबंदी सुधार कर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल

11/09

अंचल अधिकारी
गढ़वा